RAJYA SABHA

Tuesday, the 17th December, 1985/26 Agrahayana, 1907 (Saka)

The House met at eleven of the clock The Deputy Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Plight of Workers Engaged by Construction Companies in Uttarkashi

*401. SHRI P. N. SUKUL:†
DR. LOKESH CHANDRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what are the names of the construction companies engaged in digging tunnels and constructing barrages and power houses in Uttarkashi; and

(b) what are the main recommendations of the R. C. Agarwal Committee pertaining to the plight of workers engaged by these companies and whether a copy of the report by the Committee will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b)

A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) It appears from the report of Shri R.C. Agarwal, District Judge, Tehri Garhwal, who was appointed as a Commissioner by the Supreme Court that the following construction companies were engaged for digging tunnels and constructing barrages and power houses in Uttarkashi:—

(i) National Project Construction Corporation (NPCC), Dharasu, Distt. Uttar Kashi.

(ii) Hindustan Construction Company, Maneri Bhali, Distt. Uttar Kashi.

(iii) Continental Construction, Joshipara, Distt. Uttar Kashi.

(iv) Hydel Construction Company, Dhanariged, Distt. Uttar Kashi.

In addition, the Government of Uttar Pradesh has reported that the Raj Kumar construction Company is engaged in the construction of a power house in Uttar Kashi.

(b) The Supreme Court in Pursuance of Writ Petition No. 1608 of 1984 appointed Shri R. C. Agarwal, District Judge. Tehri Garhwal as Commissioner to inquire into the alleged violation of various labour laws by the construction compaines and to submit a report.

In his report submitted to the Supreme Court, the Commissioner has mentioned that the work undertaken by the Hindustan Construction Company was almost completed and he could not conduct any inspections with regard to this company. In the Commsisoner's report, there is mention of the Raj Kumar Construction Company.

The Commissioner has reported various irregularities by the other employers like working in 2 shifts of 12 hours each instead of 3 shifts of 8 hours each, payment of less wages; violation of minimum wages Act; violation of Inter State Migrant Workmen Act; not providing welfare amenities like rest rooms, drinking water, urinals etc; not providing medical aid; not providing winter clothings and beddings; poor working and living conditions; lack of adequate safety precautions. The Commissioner has also reported the employment of child labour by the National Project Construction Corporation and Hydel Construction Company; and the existence of bonded labour in the Continental Construction Company.

The Supreme Court vide its order dated 23-9-85 has forwarded the report of the Commissioner to the Government of Uttar Pradesh and has directed the State Government to make inquiries into the findings reached by the District Judge and

†The question was actually asked on the Floor of the House by Shri P. N. Sukul.

take appropriate measures against the defaulter employers. The State Government has been directed to submit its compliance report to the Supreme Court within four months.

The report of the Commissioner alongwith the observations of the Supreme Court will be placed on the Table of the House on receipt.

श्री पशुपति नाथ सुकुल : उपसभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसमें टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी आदि जिलों में बराजों पर काम करने वाले और सुरंगें खोदने में लगी हुई जो तमाम कम्पनियां है उनके द्वारा मजदूरों का जैसा शोषण किया जा रहा है उनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं । जो जबाब मंत्री जी ने सब के सामने रखा है उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और वह रिपोर्ट चार महीनों में प्राप्त होगी । तब पता चलेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है । लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज, टिहरी गढ़वाल से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि वहां पर जो कम्पनियां काम करा रही हैं वे तरह-तरह के श्रम के कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं चाहे चाइल्ड लेबर का मामला हो या दूसरे प्रदेशों से आये मजदूरों के कानून हो या मिनिमम वेजेज एक्ट हो या मजदूरों के लिए जो वेलफेयर मैजर्स होने चाहिए, उन सब का उल्लंघन किया जा रहा है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कि जहां पर पच्चीसों हजार लोग काम कर रहे हो दुर्घनाएं हो रही हों, लोग मर रहे हों, उनको कम्पेन्सेशन न दिया जा रहा हो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं ? मैं चाहता हूं कि जहां पर इतनी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं उनके बारे में और उसके वैलफेयर के बारे में वह सूचना एकत्रित करे और देख कि टिहरी गढ़वाल में जो श्रम अधिकारी काम करता है या जो इस काम से संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने इस काम को नहीं देखा है और जिनकी लापरवाही की वजह से यह सब काम हो रहे हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० अन्जैय्या : यह तो आप जानते हैं कि इस संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है और इसका इम्प्लीमेन्टेशन उनको ही करना है । जैसा कि काफी वायलेशन हुआ है, ये जो कम्पनियां हैं उन्होंने चाइल्ड लेबर का, बांन्डेड लेबर का और जो एक्सीडेन्ट्स हुए हैं, जो कम्पेसेशन मांगा गया है और जो मिनिमम वजज एक्ट हैं, उनका उल्लघंन किया है, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है । इस संबंध मे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है । चार महीने का टाइम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया गया है जिसमें वह इसको इम्प्लीमेंट करेगी । इस सिलसिले में मैं भी चीफ मिनिस्टर को लिखूंगा और उनको बताऊंगा कि हर तरफ से इनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : उपसभापति जी, जो जवाब दिया गया है उससे पता चलता है कि वहां पर चार कम्पनियां काम कर रही है । लेकिन मेरी सूचना यह है कि वहां पर आठ कम्पनिया लगी हुई हैं जो सुरंग खोदने का सब काम कर रही हैं । उनके नाम हैं—नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जय प्रकाश एसोसिएट्स, टिहरी, चाहल इंजीनियरिंग कम्पनी, टिहरी, राज कुमार कम्पनी धरासू, कांटीनेन्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जोशीयारा, हाईडल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, धनारीगढ़, अरविन्द कम्पनी, धरासू, थापर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, टिहरी । उत्तर में सिर्फ चार के नाम दिये गये हैं । बाकी कम्पनियों का क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसका पता नहीं है । सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग है, एक सार्वजनिक उपक्रम है, सरकार द्वारा गठित की गई है । इस कम्पनी के द्वारा मजदूरों का शोषण कैसे किया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है । क्या सरकार को इस कम्पनी के द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किये जाने की शिकायत पहले भी मिली हैं या नहीं मिली है ? अगर मिली है तो उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और आगे सरकार क्या करने की सोच रही है ?

श्री टी० अन्जैय्या : जितने वायलेशन्स होते हैं इनकी पूरी जिम्मेवारी यू० पी० गवर्नमेंट पर है यू० पी० की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेबर आफिसर है या जो लेबर कमिश्नर है उनकी मीटिंग बुलाकर इसको इम्प्लीमेंट कराये । जैसा कि आपने कहा है, इसमें जयप्रकाश कम्पनी भी है और दूसरे टिहरी डैम की कम्पनियां हैं । जो कुल मिलाकर, मैं समझता हूं कि आठ कंपनियां हैं । मगर अग्रवाल जी की रिपोर्ट में चार कंपनियां का जिक्र किया गया है । इसमें क्लियर यह कहा गया है कि उनसे 12 घंट काम लेते है उनकी जो रिपोर्ट है उसको और यू० पी० गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसको भी हमने देखा है उसके बाद हमने यह रिपोर्ट मंगाई है और भारत सरकार जरूर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिये यू० पी० गवर्नमेंट से कहेगी और इसके ऊपर जरूर हम ऐक्शन लेंगे ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : मेरा सवाल नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वह इस तरह से कानूनों का कैसे उल्लंघन कर रही है, के बारे में था ।

श्री टी० अन्जैय्या : वह जो कर रहे हैं वह आपको रिपोर्ट हुई है और आपके सामने बात क्लियर आ गई है ।

उपसभापति : : क्योंकि यह नेशनल कारपोरेशन है तो इसको भारत सरकार करेगी या यू० पी० गवर्नमेंट करेगी ?

श्री टी० अन्जैय्या : अप्रोप्रियेट गवर्नमेंट भारत सरकार है तो भारत सरकार करेगी और अगर अप्रोप्रियेट यू० पी० गवर्नमेंट है तो वह इसको इम्प्लीमेंट करेगी ।

डा० लोकेश चन्द्र : मंत्री महोदय, क्या आप नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की इस बात की पूरी जांच करवायेंगे कि इन्होंने केवल उत्तरकाशी में ही नही परन्तु अन्य स्थानों पर भी किन-किन नियमों का उल्लंघन किया है । उत्तरकाशी में उन्होंने बच्चों को मजदूर रखा है परन्तु और स्थानों पर क्या-क्या किया है, क्या इसकी जाच करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने मजदूरों को पिंजरों में बन्द करके रखा हुआ है ? दूसरा प्रश्न है कि क्या बहुत से मजदूर बिजली के तारों के नंगे होने के कारण वहां पर मर गये हैं ? यदि हां, तो इन मरने वालों की संख्या क्या है ?

श्री टी० अन्जैय्या: मरने वालों की संख्या एक या दो बच्चे हैं जिनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला है । इसका डिमीजन होगा । जहां तक नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में जो 12 घंट काम कर रहे हैं...

No overtime wages are paid. No license for child labour has been obtained under the Inter-State Migrant Workers Act and inhuman working conditions no medical aid and first-aid facility, labour laws are not being complied with. Staff card attendance registers are not being maintained and child labour was found to be working. Adequate safety provisions for children's labour not available.

उपसभापति : पिंजरे की बात है ।

श्री टी० अन्जैय्या : पिंजरे की बात नहीं है । पिंजरे का कोई जिक्र नहीं है ।

डा० लोकेश चन्द्र : नेशनल प्रोजक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने कहां-कहां पर किन-किन नियमों का उल्लंघन किया है, क्या आप इस बात की जांच करवायेंगे ?

श्री टी० अन्जैया : उत्तरकाशी के बारे में आपने पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं । कोई बनारस की बात हो तो बतलाइये ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Madam, there is a reference to bonded labour also. The Government is trying to eliminate bonded labour from the country; and the Government gives work to contractors while bonded labour is engaged. Now this has to be explained by the Government as to how this is consistent with the declared intentions of the Government.

Does this public sector construction company directly employ child labour or it engages child labour *via* sub-contractors.

If sub-contractors are there, are those sub-contractors blacklisted by the public sector company and the Government? I want to know about this. Just for information, I have asked the Finance Ministry in a question: How much of Government expenditure is *via* contractors? I am yet to get an answer. But in such cases have you got an idea as to how much the contractors get for their work out of the public sector contractors?

SHRI T. ANJAIAH: We are asking the Uttar Pradesh Government to furnish all this information. As soon as we get it, I will place it before the House.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Madam Deputy Chairman, this is a very important question, because 2 crores of labourers are engaged in this construction work. It is the second largest industry. We had a discussion about the construction workers some two days back initiated by Shri M. Kalyansundaram. I would like to ask the Honourable Minister, is there any uniform wage policy which is applicable for the construction workers either engaged by public sector contractors or private sector contractors. Secondly, how many bonded labour instances are found in construction companies which are run by private contractors as I know that in my district of Nanded, in Vishnupuri Project, some bonded labourers were found who have been brought from Bihar? So, there are so many contractors who have brought the bonded labour for their work. Are there instances like this and is there a uniform policy about wages?

श्री टी० अन्जैय्या : उपसभापति महोदया, जो सवाल पूछा है उसमें तो मैंने पहले ही कहा है कि यह एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट का काम वेजेज के बारे में बोंडेड लेबर के बारे में है । यह उनका काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी मशीनरी नहीं है चाहे यू० पी० गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो तमाम लेबर लाज का इम्पलीमेंटेशन उनको करना है । हम भी उन से पूछेंगे । (व्यवधान)

You are not interested in bonded labour. You are a labour leader only in industries. No labour leader has worked in the unorganised labour or bonded labour.

ऐसा कोई लेबर लीडर नहीं है जो इन लोगों में काम करता है ।

श्री दिपेन घोष : यह कोई जवाब नहीं है (व्यवधान)

श्री टी० अन्जैय्या : हम जानते हैं । वहां अगर ट्रेड यूनियन होता तो यह होता ही नहीं, आप लोग ट्रेड यूनियन वाले इन लोगों में काम नहीं करते हैं (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट की वजह से यह मसला उठा है आपकी वजह से नहीं उठा है । एक वकील साहब इस मसले को ले कर के सुप्रीम कोर्ट गये थे तभी यह मसला आया आपकी वजह से यह सामने नहीं आया है। आप लोग आर्गेनाइज्ड लेबर में काम करते हैं, अन-आर्गेनाइज्ड लेबर में काम नहीं करते है । ट्रेड यूनियन का कोई नेता काम नहीं करता है ।

श्री दीपेन घोष : सरकार की नीति क्या है, आप सवाल का जवाब दीजिए ।

उपसभापति : आप यू० पी० गवर्नमेंट से पूछिये (व्यवधान)

श्री टी० अन्जैय्या : आर्गेनाइज्ड लेबर में आप काम करते हैं, बोंडिड लेबर में काम नहीं करते है । (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय ने कहा है कि यह लोग केस लाकर नहीं देते यह सच बात है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन हमारे देश में कमजोर है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन उनका यह कहना बिलकुल गलत है। मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं मैंने पर्सनली बिहार गवनमेंट को 700 केस बोंडिड लेबर के भेजे हैं, क्या मंत्री महोदय इस बात से इंकार करेंगे ?

उपसभापति : बिहार गवर्नमेंट से सवाल पूछिये (व्यवधान)

श्री टी० अन्जैय्या : जहां भी बोंडिड लेबर के बारे में हमें इनफारमेशन मिलती है हम लोग एक्शन लेते जा रहे हैं । अब अगर कोई इनफारमेशन आपके पास है तो हमें दीजिये मैं 24 घंटे के अन्दर एक्शन लेने के लिये कहूंगा । मगर आप कुछ देते नहीं हैं । बात यह है कि सुबह से शाम तक टेक्सटाइल मिलो, इंजीनियरिंग कम्पनियों और बड़ी-बड़ी फैक्टरीज़ के बारे में बातचीत करते है । यह तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी है ।

Report of wage Board for Journalists

@*402. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) by when the Wage Board for Journalists is likely to submit its final report; and

(b) whether the Wage Board has submitted its interim report; if not, by when the Board is likely to do so?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b). A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Government of India had set up the Wage Board for Working Journalists on 17th July, 1985, for the purpose of fixing and revising the rates of wages, in accordance with the provisions of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955). The Wage Board is expected to finalise its recommendations within one year of its constitution.

The Act, *inter alia,* provides that where the Central Government is of the opinion that it is necessary to do so, it may after consultation with the Board, by notification in the Official Gazette, fix interim rates of wages in respect of working journalists. In the light of numerous representations received by the Government from the working journalists for interim relief the Govenment had taken up the matter with the Wage Board in August 1985 and again in October 1985. A Questionnaire in this regard has already been circulated by the Wage Board by way of a notice on 10.12.1985 and it has requested the interested parties to submit their memorandum within 30 days. The Board expects to finalise its recommendations in regard to interim rates of wages expeditiously.

SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Madam Deputy Chairman, may I know from the Minister whether the Chairman of the Wage Board has expressed his inability to hold a meeting in Delhi as there is no office accommodation of the Board or the Secretary of the Board and in view of this delay in holding the meeting, will it not delay the submission of the interim report which the Government is supposed to act on?

श्री टी० अन्जैय्या : मैडम अभी जो सवाल पूछा गया है इसमें इंटेरिम रिलीफ का आफिस से कोई ताल्लक नहीं है । आफिस तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं पहले से ऐसा कोई प्रेक्टिस नहीं था कि हम कोई आफिस और मकान दें लेकिन अब मकान भी अलाट हो गया है और फायनेंस से बहुत सी चीजें सेंक्शन हो गई हैं । इंटेरिम रिलीफ जो बर्कर्स ने मांगा है वह गवर्नमेंट से कनसलटेशन कर के देना पड़ता है इंटेरिम रिलीफ से यह जो सब चीजें डिले हुई हैं कोई उससे ताल्लुक नहीं है । इंटेरिम रिलीफ के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है । अब जहां तक स्टाफ का सवाल है आफिस के लिए 4000 स्क्वेयर फुट रेलवे भवन में जगह दी गई है । दो चार आफिसर्ज का उनको अप्वाइंटमेंट करना है, गवर्नमेंट को भी करना है, यह सब कुछ हो रहा है मगर इसकी वजह से इंटेरिम रिलीफ के रुकने का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री भूवनेश चतुर्वेदी : माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि वेज बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है । 6 महीने तक उनके एपाइंटमेंट नहीं होते हैं । चूंकि वेज बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई

@previously starred question 262, Ttransferred from the 6th December, 1985.